न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, गोरखपुर।

सत्र वाद सं0– 186/2017
धारा– 307,507,120बी भा0द0सं0
सरकार बनाम आशीष बरनवाल बगैरह
थाना राजघाट, जिला गोरखपुर।

दिनांक– 17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण आशीष बर्नवाल, अमित बर्नवाल, किफायत उल्लाह, बुलट उर्फ सलीम, नसीम कुरैशी व छोटे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तथा अभियुक्त अतुल जायसवाल द्वारा अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त राहुल जायसवाल संबंधित पत्रावली में द्वारा अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली में वादिनी मुकदमा अनामिका बर्नवाल की ओर से पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र 117ख एवं 122ख प्रस्तुत किये गये। प्रार्थनापत्र 117ख वादिनी मुकदमा की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे में अभियुक्तगण आशीष बर्नवाल आदि का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो प्रार्थिनी को डरा धमका कर प्रार्थिनी के लड़के की हत्या करने की धमकी देकर जबरदस्ती एक बार उसका बयान करा लिये हैं और अब दुबारा यह धमकी दे रहे हैं कि यदि हम लोगों के पक्ष में बयान नहीं दी तो जिस तरह तुम्हारे पति को गोली मारा गया था और वह किसी काम लायक नहीं रह गया उसी तरह दोबारा तुम्हारे पूरे परिवार के हत्या कर दिया जायेगा। प्रार्थिनी का उक्त मुकदमे में दोबारा बयान होना है परन्तु मुकदमे के अभियुक्तगण द्वारा उसे पुनः डराया धमकाया जा रहा है तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उक्त कथनों के आधार पर मामले की गम्भीरता को देखते हुए स्वतन्त्र रूप से बयान देने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अन्य प्रार्थनापत्र 122ख वादिनी की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी उक्त मुकदमे में वादिनी मुकदमा है। वादिनी का मुकदमा साक्ष्य हेतु नियत है। उक्त मुकदमे के अभियुक्त अमित कुमार बर्नवाल मुकदमे से बचने के लिए विदेश भागने की फिराक में लगा हुआ है और भागने की पूरी तैयारी कर ली है। अभियुक्त अमित कुमार बर्नवाल निरन्तर जमानत का दुरूपयोग किया जा रहा है, तारीख पेशी पर हाजिर अदालत नहीं आ रहा है। यदि विदेश भागने में कामयाब हो गया तो वादिनी न्याय पाने से वंचित रह जायेगी। उक्त कथनों के आधार पर मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त अमित कुमार बर्नवाल का पासपोर्ट दौरान विचारण निरस्त कर उसका विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त अमित कुमार बर्नवाल के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति की गयी है तथा आपत्ति में कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र बिना किसी पर्याप्त आधार के प्रस्तुत किया गया है। अनुचित प्रभाव इस्तेमाल करने की गरज से गलत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है, अभियुक्त ने विवेचना तथा विचारण में सहयोग किया है। मुकदमे में द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आते रहे हैं। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सत्र परीक्षण सं0 186/2017 में वादिनी मुकदमा का साक्ष्य हो चुका है। प्रकरण उपरोक्त से सम्बन्धित पत्रावली सत्र परीक्षण सं0 18/2019 सरकार बनाम राहुल जायसवाल में वादिनी का साक्ष्य होना शेष है। सत्र परीक्षण सं0 18/2019 में पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 25.03.2019 के अनुसार सत्र परीक्षण सं0 18/2019 की पत्रावली में वादिनी का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वह सत्र परीक्षण सं0 186/2017 में समेकित मानी जायेगी। सत्र परीक्षण सं0 186/2017 में वादिनी का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है तथा सत्र परीक्षण सं0 18/2019 में वादिनी का साक्ष्य होना है। उसमें भी वादिनी ने साक्ष्य हेतु पुलिस सुरक्षा में साक्ष्य अभिलिखित कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में वादिनी का प्रार्थनापत्र वास्ते पुलिस सुरक्षा में साक्ष्य अभिलिखित कराये जाने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 117ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थनापत्र की प्रति मय आदेश की प्रति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित हो कि वह वादिनी का साक्ष्य पर्याप्त पुलिस सुरक्षा में अभिलिखित कराया जाना सुनिश्चित करें।

जहां तक वादिनी का एक अन्य प्रार्थनापत्र में अभियुक्त अमित कुमार बर्नवाल का पासपोर्ट दौरान विचारण निरस्त कर उसका विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का कथन है, तो उक्त प्रार्थनापत्र में ऐसे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि जिनके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्त उपरोक्त अमुक दिनांक को अमुक फ्लाईट से विदेश जाने की तैयारी में है। अभियुक्त आज भी हाजिर अदालत आया है और पूर्व में भी उपस्थित रहा है एवं द्वारा अधिवक्ता हाजिर रहा है। ऐसी दशा में प्रार्थनापत्र 122ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 122ख निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति संबंधित सत्र परीक्षण सं0 18/2019 में भी रखी जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिनी दिनांक 26.07.2019 को पेश हो।

(मुमताज अली)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
ई0सी0एक्ट, गोरखपुर।